न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 35/2022

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1— मूलचन्द पुत्र छीतर

2— लाली पत्नी मूलचन्द समस्त कौम बागरिया गैर खातेदार सर्व निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :—

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. श्री प्रकाश भाटी अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: आदेश :—

दिनांक—15.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन अप्रार्थीगण को ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 45/1 रकबा कुल रकबा 118—00—00 बीघा किस्म गै0मु0 हरडा में से 03—10—00 बीघा किस्म गे0मु0 हरड़ा वर्ष 2008 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उस पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. आवेदक पांचू पुत्र लादू निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदनकर्ता का वर्ष 2007 से आदिनांक तक कब्जा काश्त होने से प्रकरण में आवेदनकर्ता को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 03 कायम किया जावें। जिस पर पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त/ हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का

कलक्टर,
अजमेर

अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उसका हक अधिकार निहित हो। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण को ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 45/1 कुल रकबा 118–00–00 में से रकबा 03–10–00 बीघा किस्म गे0मु0 हरडा भूमि वर्ष 2008 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उनके द्वारा आंवटित/नियमित भूमि पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। आवंटी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970) के नियम 14(3) की शर्त अनुसार आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग करना चाहिए था, परन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग नहीं कर आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 45/1 रकबा 03–10–00 बीघा किस्म गे0मु0 हरड़ा का अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः निवेदन किया कि राजस्व कैम्प ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ में दिनांक 10.02.2008 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम गोरधनपुरा स्थित आराजी ख.नं. 45/1 रकबा 03–10–00, किस्म गे0 मु0 हरडा जो अप्रार्थीगण के पक्ष में समस्त तथ्यों की जांच कर विधिवत रूप से आवंटन/नियमन किया जाकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। आंवटित भूमि मात्र 03–10–00 बीघा है जिसकी किस्म गे0मु0 हरड़ा है। उक्त भूमि पर आवंटी आदिनांक तक काबिज काश्त है। अतः आवंटनशुदा भूमि को गैर खातेदार से खातेदार अंकित किया जावे व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 2008 जिसके सम्वत 2065 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू–आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू–भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम गोरधनपुरा की जमाबन्दी सं. 2066 से 2069 के अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटी द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उप बन्धित आवंटन शर्तो से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 392/45 रकबा 3.1000 हैक्टर किस्म गैर0मु0 हरड़ा भूमि का अप्रार्थीयान के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर , अजमेर